"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 58] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2012—चैत्र 10, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2012

क्रमांक 2695/डी. 98/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-03-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 9 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012

विषय सूची

खण्ड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

2. परिभाषाएं

3. शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण

4. विशेष संवर्गों के लिए शैक्षणिक आरक्षण

5. नियम बनाने एवं कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 9 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012

राज्य सरकार द्वारा स्थापित, संधारित अथवा सहायता प्राप्त कुछ शैक्षणिक संस्थाओं के लिए, नागरिकों के अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के प्रवेश में आरक्षण के लिए तथा उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.

   (3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

   (क) "शैक्षणिक सत्र" से अभिप्रेत है कैलेण्डर वर्ष, या उसके किसी भाग की कालावधि, जिसके दौरान कोई शैक्षणिक संस्था अध्यापन के लिए अथवा अध्ययन या संकाय की किसी शाखा में शिक्षण के लिए खुली हो;

   (ख) "प्रवेश परीक्षा" से अभिप्रेत है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार या किसी शैक्षणिक संस्था द्वारा या उसकी ओर से संचालित परीक्षा तथा इसमें सम्मिलित है, प्री-मेडिकल टेस्ट (पीएमटी), प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट (पीईटी), प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट (पीएटी) या कोई अन्य परीक्षा चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो;

   (ग) "वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या" से अभिप्रेत है शिक्षण संस्थाओं में पात्र विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में अध्यापन या शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में सीटों की संख्या;

   (घ) "समुचित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद्, तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद्, भारतीय परिचर्या परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम द्वारा स्थापित कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय जो किसी शैक्षणिक संस्था में उच्च शिक्षा के स्तर के अवधारण, समन्वयन अथवा संधारण के लिए हो;

   (ङ) "अंतिम तिथि(यों)" से अभिप्रेत है धारा 3 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन रिक्त सीटों को भरने के प्रयोजनों के लिए, शैक्षणिक सत्र में अध्ययन या संकाय की किसी शाखा में अध्यापन या शिक्षण के पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में प्रवेश की ऐसी तिथि(यां) जैसी कि राज्य सरकार या शैक्षणिक संस्था, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा घोषित की जाये;

   (च) "शैक्षणिक संस्था" से अभिप्रेत है,—

      (एक) छत्तीसगढ़ राज्य के विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय;

      (दो) संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था से भिन्न कोई संस्था, जो राज्य सरकार द्वारा, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर

संधारित या सहायता प्राप्त हो, तथा खण्ड (एक) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो;

(तीन) छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई शैक्षणिक संस्था;

(छ) "पात्र विद्यार्थी" से अभिप्रेत है वे विद्यार्थी जो अध्ययन या संकाय की किसी शाखा में अध्यापन या शिक्षण के पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं तथा ऐसी अर्हताएं धारित करते हैं, जैसी कि समुचित प्राधिकारी या विश्वविद्यालय या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा विहित की जाएं अथवा जहां प्रवेश परीक्षा संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय या निकाय द्वारा, अध्ययन या संकाय की किसी शाखा में अध्यापन या शिक्षण के पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में प्रवेश के संबंध में, अपेक्षित किए गए अनुसार, जिन्हें पात्र घोषित किया गया हो;

(ज) "संकाय" से अभिप्रेत है किसी शैक्षणिक संस्था का संकाय;

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है नागरिकों का/के वर्ग जो समाज के संपन्न वर्ग से संबंधित न हो, जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हों, तथा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार अवधारित हो;

(ञ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति;

(ट) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथा अधिसूचित अनुसूचित जनजाति;

(ठ) "अध्ययन की किसी शाखा में अध्यापन या शिक्षण" से अभिप्रेत है स्नातक (पूर्व-स्नातक), स्नातकोत्तर (अनु-स्नातक) एवं डॉक्टरेट स्तर पर डिप्लोमा या डिग्री प्रदान करने के लिए अग्रणी अध्ययन की किसी शाखा में अध्यापन या शिक्षण.

शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण.

3. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण, तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :—

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से, बत्तीस प्रतिशत सीटें, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी ;

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से, बारह प्रतिशत सीटें, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी;

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से, चौदह प्रतिशत सीटें, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी :

परन्तु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें, पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा "विपरीत क्रम" में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा.

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहां खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा.

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार, इस धारा के अधीन आरक्षण को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए, स्नातकोत्तर या उच्च स्तर में अध्ययन की किसी या सभी शाखाओं की वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या को एकीकृत कर सकेगी, यदि राज्य सरकार की राय में अध्ययन की ऐसी शाखा या शाखाओं को अकेले लेने पर ऐसा आरक्षण नहीं किया जा सकता हो.

विशेष संवर्गों के लिए क्षैतिज आरक्षण.

4. (1) धारा 3 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा.

(2) नि:शक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह धारा 3 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन, यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा.

नियम बनाने एवं कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.

5. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

(2) इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती हो, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों से अनसंगत ऐसे प्रावधान कर सकेगी, जैसा कि कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो.

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, तथा इस धारा की उप-धारा (2) के अधीन बनाया गया प्रत्येक प्रावधान, इसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के समक्ष जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2012

क्रमांक 2695/डी. 98/21-अ/प्रा./छ. ग./12.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 9 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 9 of 2012)

THE CHHATTISGARH EDUCATIONAL INSTITUTIONS (RESERVATION IN ADMISSION) ACT, 2012

An Act to provide for reservation in admission of the students belonging to the Scheduled Tribes, the Scheduled Castes and the Other Backward Classes of citizens, to certain Educational Institutions established, maintained or aided by the State Government and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2012.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Academic Session" means the period in a calendar year, or a part thereof, during which an Educational Institution is open for teaching or instruction in any branch of study or faculty;

(b) "Admission Test" means the examination conducted by or on behalf of the State Government or an Educational Institution for determining the eligibility of students for admission to Educational Institutions, and includes the Pre-Medical Test (PMT), the Pre-Engineering Test (PET), the Pre-Agriculture Test (PAT) or any other test, by whatever name it may be called;

(c) "Annual Permitted Strength" means the number of seats in a course or programme for teaching or instruction in each branch of study or faculty authorized by an appropriate authority for admission of eligible students to an Educational Institution;

(d) "Appropriate Authority" means the University Grants Commission, the Bar Council of India, the Medical Council of India, the All India Council for Technical Education, the Nursing Council of India, the Dental Council of India, Central Council of Indian Medicine or any other authority or body established by any Act for the time being in force, for the determination, coordination or maintenance of standards of higher education in any Educational Institution.

(e) "Cut-off Date(s)" means the date(s) of admission to a course or programme of teaching or instruction in a branch of study or faculty in an academic session, as may be declared by the State Government or the Educational Institution, as the case may be, for the purposes of the filling up vacant seats under clause (a), (b) and (c) of Section 3;

(f) "Educational Institution" means,-

(i) A university established or incorporated by or under an Act of the Legislature of the State of Chhattisgarh;

(ii) An institution, other than a minority educational institution referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution, maintained by or receiving aid from the State Government, whether directly or indirectly, and affiliated to a university referred to in cluase (i);

(iii) An educational institution established by the State Government under the Chhattisgarh Societies Registration Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973);

(g) "Eligible Students" means those students who are eligible to be admitted to a course or programme of teaching or instruction in a branch of study or faculty, and possessing such qualifications as may be prescribed by the appropriate authority or the University or the State Government, as the case may be, or declared to be eligible, where so required, by the University or body authorized by the State Government for conducting the admission test, in respect of the admission to such course or programme of teaching or instruction in the branch of study or faculty;

(h) "Faculty" means the faculty of an Educational Institution;

(i) "Other Backward Classes" means the class or classes of citizens, not belonging to the creamy layer of society, who are socially and educationally backward and are so determined from time to time by the State Government;

(j) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as notified in relation to the State of Chhattisgarh under Article 341 of the Constitution;

(k) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as notified in relation to the State of Chhattisgarh under Article 342 of the Constitution;

(l) "Teaching or Instruction in any Branch of Study" means teaching or instruction in a branch of study leading to the award of diploma or degree at the bachelor (under-graduate), masters (post-graduate) and doctoral levels.

Reservation of seats in Educational Institutions.

3. The reservation of seats in admission to each academic session, and its extent in an Educational Institution shall be in the following manner, namely :—

(a) out of the annual permitted strength in each branch of study or faculty, thirty two percent seats shall be reserved for the Scheduled Tribes;

(b) out of the annual permitted strength in each branch of study or faculty, twelve percent seats shall be reserved for the Scheduled Castes ;

(c) out of the annual permitted strength in each branch of study or faculty, fourteen percent seats shall be reserved for the Other Backward Classes:

Provided that where the seats reserved for the Scheduled Tribes remain vacant due to non availability of eligible students on the cut-off date (s), the same shall be filled from among eligible students belonging to the Scheduled Castes and *vice versa.*

Provided further that where seats reserved under clause (a), (b) and (c) remain vacant on the cut-off date(s), even after the arrangement referred to in the foregoing proviso, the same shall be filled from other eligible students.

Provided also that the State Government may, for the purpose of giving effect to reservation under this section, aggregate the annual permitted strength of any or all branches of study at the post-graduate or higher levels, if in the opinion of the State Government such reservation cannot be made in such branch or branches of study taken alone.

Horizontal reservation for special categories.

4. (1) The reservation of seats provided under clause (a), (b) and (c) of Section 3 shall be determined vertically.

(2) The percentages of horizontal reservation in respect of persons with disabilities, women, ex-service personnel, wards of freedom fighters, or other special categories of persons shall be as are notified for the purposes of this Act by the State Government from time to time, and shall be made within the vertical reservation under clause (a), (b) and (c), as the case may be, of Section 3.

Power to make rules and remove difficulties.

5. (1) The State Government may make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(3) Every rule made under this Act, and every provision made under sub-section (2) of this section, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature while it is in session.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.